>

Title: Discussion on the motion for consideration of the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Amendment Bill, 2007 (Discussion Not Concluded).

MR. CHAIRMAN : Now, we shall take up item no. 18.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. ANBUMANI RAMADOSS): Mr. Chairman, Sir, I beg to move:

> "That the Bill to amend the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003, be taken into consideration."

The aforesaid Act makes it mandatory for depiction of skull and cross bones and other pictorial warning as may be specified in the packs of cigarette and other tobacco products. The proposed amendment to the Act would make the requirement of depiction of skull and cross bones optional rather than mandatory.

The proposed amendment would facilitate the implementation of the specified health warnings. The early implementation of the provisions relating to specified health warnings is important as it would bring about awareness amongst the youth and children and also illiterate persons, about the serious and adverse health consequences of tobacco consumption.

I move that the Bill may be taken up for consideration.

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

> "That the Bill to amend the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003, be taken into consideration."

सभापति महोदयः यह बहुत छोटा विधेयक हैं। इस पर चर्चा के लिए केवल एक घंटे का समय है इसलिए माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि संक्षेप में कहें ताकि हम दूसरा एजेंडा भी ले सकें क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बाढ़ पर चर्चा है और उसका जवाब भी दिया जाना है।

श्रीमती तेजस्विनी श्रीरमेश (कनकपुरा) : यह भी इम्पॉर्टेंट है।

सभापति महोदयः हम चाहेंगे कि इसे एक घंटे में पास कर दिया जाए।

â€¦(व्यवधान)

सभापति महोदयः इस पर चर्चा के लिए एक घंटे का समय है।

श्रीमती तेजस्विनी श्रीरमेश : आधा घंटा ज्यादा कर दिया जाए।

सभापति महोदयः बीएसी ने इसके लिए एक घंटे का समय दिया है। हमारी मजबूरी है। जब बीएसी की संस्तुति को पास किया था तब चर्चा करनी चाहिए थी। इसलिए हम इसे एक घंटे में समाप्त करना चाहेंगे। माननीय सदस्य बहुत कम समय में अपनी बात को संक्षेप में कहें।

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : माननीय सभापति जी, कहने के लिए यह बिल बहुत छोटा है लेकिन इसके परिणाम बहुत खतरनाक हैं। केवल परिणाण ही नहीं, जिस मानसिकता से यह अमैंडमैंट बिल पेश किया गया है, वे खतरनाक हैं। दोनों बातें खतरनाक हैं इसलिए इसे छोटा मान कर नहीं चलें। इस पर पूरी चर्चा कराना आवश्यक है। हालांकि पूरे बिल पर मैं भी चर्चा करना नहीं चाहूंगी लेकिन जो केवल अमैंडमैंट दिया है, वह देते समय खुद मंत्री जी ने भी कहा है कि आज अगर देखें तो बच्चों, महिलाओं या एक प्रकार से पूरे समाज पर सिगरेट, तम्बाकू, बीड़ी का एक गलत असर जा रहा है।[a53]

मैं उस संख्या में नहीं जाऊंगी कि कितने परसेंट लोग बीड़ी पीते हैं, कितने परसेंट लोगों को कैंसर हुआ है या कितने लंग्स खराब हो गए हैं। मिनिस्टर साहब स्वयं

डॉक्टर हैं वे हर चीज को जानते हैं और हर चीज को समझते हैं। केवल यह बात ध्यान में रखनी आवश्यक है कि हिन्दुस्तान की जनता को ध्यान में रखकर एम्बलम या प्रिंटिड मैटर या चित्र का प्रपोशन तय करना बहुत आवश्यक है। मैं प्रपोशन का ज्यादा उल्लेख करना चाहती हूं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यह चीज स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसा कोने में लिखा रहता है। जो डिब्बा बंद दूध होता है, तब हमने कहा था इस पर लिखना आवश्यक है कि मां का दूध बच्चे के लिए छः महीने तक आवश्यक है लेकिन वह बारीक अक्षरों में कोने में लिखा रहता है, ऐसा लगता है कि उसे पढ़ने के लिए साथ में मैग्नीफाइंग ग्लास देना पड़ेगा। हमारे देश में इस क्षेत्र में अनपढ़ लोग ज्यादा हैं जो पान-गुटखा खाते हैं या बीड़ी पीते हैं, ज्यादातर मजदूर हैं, खेती-किसानी करने वाले हैं इसलिए चित्र की तो आवश्यकता है ही लेकिन इसका प्रपोशन भी तय करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहती हूं, जब आप थोड़ी सी सहूलियत देने जा रहे हैं लेकिन यह भी देखें कि स्मोकिंग या पान-तम्बाकू का असर केवल पीने वालों पर नहीं बल्कि जिसे पैसिव स्मोकिंग, सैकिण्ड हैंड टोबेको स्मोक कहते हैं, पड़ोस में बैठे व्यक्ति पर भी होता है। इसके साथ मैं यह भी कहूंगी कि खास तौर से महिलाओं पर भी इसका असर होता है। ...(व्यवधान)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी) : महोदय, यहां गुटखा पड़ा है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह मंत्री की सीट है, किसी मिनिस्टर ने रखा होगा।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : यह तो और भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

सभापति महोदय: मंत्री जी ही बता रहे हैं कि मंत्री लोग गुटखा खाते हैं।

श्री राम कृपाल यादव : सदन में इसका प्रवेश निषिद्ध होना चाहिए।

सभापति महोदय : आप इसे अपने भाषण में कहिएगा।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : मैं तो कहती हूं कि बड़े तो खाते ही हैं लेकिन सबसे खतरनाक चीज यह है कि लेने के लिए बच्चों को भेजते हैं। इसका असर स्मोकिंग करने वाले पर ही नहीं बल्कि जो इनहेल करता है उस पर भी होता है। इसे इस दृष्टि से भी देखना जरूरी है कि सिर्फ उस महिला पर ही नहीं, अगर वह गर्भ से है तो उस पर भी यह असर करता है। यह चीज स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक है, ये सब कुछ ध्यान में रखकर लॉ में जो कुछ भी प्रोवीजन करें लेकिन इसे करते समय इस भयावह चित्र को ध्यान में रखना पड़ेगा, तब कहीं जाकर इस पर अच्छे तरीके से सोचें सकेंगे, यह तभी ठीक रहेगा। कई बार यह होता है कि हम लॉ में कुछ प्रोवीजन करते हैं लेकिन उसमें से निकलने का रास्ता भी उसी में से ही मिल जाता है। आज आपने जैसे कहा है उसमें से रास्ता मिल जाएगा, जिस तरह से हम देखते हैं कि शराब की एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं लेकिन नाम तो सबको मालूम है कि किंगफिशर है या मकडोनेल्ड है। पानी की एडवर्टाइजमेंट करते हैं लेकिन सबको मालूम है कि इसका मतलब क्या है। कई बार कहा जाता है कि अगर ताड़ी की दुकान पर बैठकर कोई दूध भी पिएगा तो लोग समझते हैं कि ताड़ी पी है, इसलिए कानून में इन चीजों पर सख्ती होना आवश्यक है।

मुझे बहुत दुख है कि रिलीजियस सेंटीमेंट की बात कही गई है, मैं इसे आखिर में कहूंगी। मैं मानती हूं कि कानून में ऐसा कहीं भी नहीं लिखना चाहिए। एक तरफ तो रिलीजियस सेंटीमेंट की बात कह रहे हैं, मैं आपको पूछना चाहूंगी कि कैसा रिलीजियस सेंटीमेंट? जिस चीज से शरीर आहत हो रहा है, निसर्ग पर असर हो रहा है। जैसे अभी आपने कहा गुटखा खाकर इधर-उधर छोड़ दिया, इतना ही नहीं गुटखे की पन्नी सब जगह मिलेगी। आज पूरा हिमालय का वातावरण नष्ट हो रहा है क्योंकि जगह-जगह पाउच नष्ट नहीं होते, पैकिंग नष्ट नहीं होती है, वे आपको जगह-जगह ढेर के ढेर पड़े मिलेंगे।[r54] ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। अक्सर लोग पाउच मुंह में डालकर बस में बैठ जाते हैं। मेरे जैसी महिला अपने अनुभव की बात आपको बता रही हूं। हम साइकिल चलाने वाले लोग हैं। हमने जीवन में साइकिल और स्कूटर चलाये हैं। जब कभी हम किसी बस या गाड़ी के बराबर से निकलते थे, तो हमेशा मन में डर रहता था कि किसी खिड़की से साड़ी पर प्रिंट न बन जाए। ये वही गुटखा और पान खाने वाले लोग हैं। कभी-कभी डर लगता था कि पता नहीं किस खिड़की में से जलती हुई बीड़ी आकर साड़ी पर गिर जाए। हमारे मन में हमेशा एक भय बना रहता था। यह मैं अनुभव की हुई बात बता रही हूं। इस तरह से यह समाज के पूरे वातावरण को बिगाड़ने वाली बात है। इतना ही नहीं, ये चीजें गंदगी भी फैलाती हैं। जहां चाहे पान की पीकें पड़ी मिलेंगी, जहां चाहे जली हुई सिगरेट और गुटखे के पाउच पड़े मिलेंगे। इस तरह से ये जीवन में गंदगी फैलाते हैं। इनके कारण जीवन गंदा और महंगा हो जाता है और मृत्यु सस्ती हो जाती है।

मंत्री जी आप रिलीजियस सैन्टिमैन्ट्स की बात कर रहे हैं। रिलीजन क्या सिखाता है, आखिर धर्म क्या है? समाज के कल्याण को धर्म कहते हैं। आप इसमें किसके कल्याण की बात कर रहे हैं, इसमें कौन सी रिलीजियस भावना है। मैं कहती हूं कि धर्म इन बातों से आहत नहीं होता है कि आप क्या चित्र दिखा रहे हैं, बल्कि मैंने जो कहा, इन बातों से धर्म वास्तव में सबसे ज्यादा आहत होता है। धर्म पर आंच इन बातों से आती है कि लोगों का जीवन बिगड़ रहा है, लोगों की आदतें बिगड़ रही हैं, संस्कार नष्ट हो रहे हैं, आने वाला भविष्य बिगड़ रहा है - इससे धर्म ज्यादा आहत होता है। कोई स्कल या दो हड्डियां दिखाने से धर्म आहत नहीं होता है। इसलिए कृपा करके रिलीजियस सैन्टिमैन्ट्स की बात मत करिये। इस बात पर मैं सबसे ज्यादा क्रोधित हुई हूं।

सभापति जी, मुझे एक बात और कहनी है। मैं इधर-उधर से पढ़ रही हूं। आज मंत्री जी ने जो बात कही है, लेकिन यही बातें दोहराई भी जाती हैं कि देश में करोड़ों बीड़ी मजदूर हैं, जिनकी रोजी-रोटी रुक जायेगी। क्योंकि बीड़ी कारखानेदारों ने एक प्रकार से धमकी दी है कि हम सब कारखानें बंद कर देंगे और बीड़ी कामगारों को काम नहीं मिलेगा, इस तरह की चर्चा की जाती है। लेकिन आचार्य जी, आप बात समझिये। मैं पूछना चाहूंगी की क्या इसमें बीड़ी कामगारों को खाली काम मिलने की बात है? आज बीड़ी कामगारों की क्या अवस्था है? हजारों-लाखों की संख्या में बीड़ी कामगार किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। आज कारखानों के अंदर क्या हालात हैं - वहां महिलाएं पूरे दिन बीड़ियां बनाती हैं। इससे उनकी सेहत पर क्या असर होता है और शाम को आखिर में जिस तरीके से उनकी बीड़ियां तौली जाती हैं, ये सब हमारी अनुभव की हुई बातें हैं। क्योंकि हम जनता में रहते हैं, इसलिए हमें पता है कि किस तरीके से वहां तौल की जाती है, किस तरीके से आधी बीड़ियां निकाल दी जाती हैं, किस तरीके से उन्हें कम पारिश्रमिक दिया जाता है। वह इतने कम पैसे में क्या करेगी, क्या खायेगी? हम कौन से पारिश्रमिक की बात करते हैं। हम बीड़ी मजदूरों के कौन से हितों की बात करने जा रहे हैं कि करोड़ों बीड़ी मजदूरों को काम नहीं मिलेगा। इस तरह की धमकियां दी जाती है और बोलते हैं कि उनके लिए सोचो - यह मैंने पेपर में पढ़ा है। बड़े-बड़े लोग बातें करते हैं कि करोड़ों बीड़ी मजदूरों के बारे में हमें सोचना चाहिए और इसलिए इस प्रकार का एम्बलम नहीं लाना चाहिए। जब हम धार्मिक बातें करते हैं तो ऐसी बातें कई जगहों पर होती है। जैसे इलैक्ट्रिक का खम्बा है, उस पर हम 440 वाट लिखते हैं और उस पर भी वही स्कल और दो हड्डियां दिखाई देती हैं। क्योंकि वहां खतरा है। लोगों के दिमाग में एक बात है कि इस प्रकार का एम्बलम, इस प्रकार का चित्र - कहीं न कहीं खतरे की घंटी है। इस तरह से यह खतरा दर्शाने के लिए है।

सभापति महोदय : अब आपके भाषण के खतरे की घंटी बज गई है।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : सभापति महोदय, आज जो मैं बोल रही हूं, वह एक सासंद के नाते नहीं बोल रही हूं।

सभापति महोदय : आपने बात बहुत अच्छी कही है।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : कहीं न कहीं एक मां का दिल इनकी बातों से रो रहा है।

सभापति महोदय : आपके भाव को हम समझते हैं, लेकिन समय बहुत कम है।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : यह बात इनकी समझ में नहीं आती। इन्हें लगता है कि प्रैशर है, लेकिन इन पर बीड़ी मजदूरों का प्रैशर नहीं है। यह बीड़ी मजदूरों का प्रैशर नहीं बोल रहा है, आप मुझे माफ करना। मुझे शंका होती है कि इन पर कहीं न कहीं बीड़ी मालिकों का प्रैशर बोल रहा है, जिसके कारण ये लोग ऐसा बोल रहे हैं। ...(व्यवधान) इसलिए मैं कह रही हूं कि उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया और रिलीजियस सैन्टीमैन्ट्स वाली बात कही - क्या यह सरकार रिलीजयस सैन्टीमैन्ट की बात कर रही है। एक मंत्री अभी यहां से उठकर गये हैं। करोड़ों लोगों के रिलीजियस सैन्टीमैन्ट्स रामसेतु से जुड़े हुए हैं। आप उस पर प्रहार कर रहे हो, उसे डायनामाइट से उड़ाने जा रहे हो[b55]। यह डाइनेमाइट है तथा बीड़ी, सिगरेट और इस प्रकार के गुटकों का उपयोग कौन से रिलीजियस सेंटीमेंट के लिए कर रहे हैं? इसीलिए मेरा मानना है कि जिस प्रकार से बात हो रही है कि यह न बीड़ी मजदूरों की बात कर सकते हैं, न रिलीजियस सेंटीमेंट, पहले तो मेरा विरोध इसी शब्द पर है। आपको अमेंडमेंट करना हो, आप करिए, आपका कहना हो कि स्कल और हड्डियां नहीं, इसकी जगह और कोई भयावह चित्र हो जिससे खतरे की घंटी लोगों को लगे, वह हम दिखाएंगे तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन अगर आप दूसरा कोई चित्र लगाइए जिससे लोगों को खतरा महसूस हो जाए लेकिन रिलीजियस सेंटीमेंट की बात जो आपने कही है, मेरा इस रिलीजियस सेंटीमेंट पर घोर विरोध है। इसलिए हो सकता है कि आज बहुमत के नाम पर, सभापति जी, आज बहुमत की तलवार आपके हाथ में है,...(व्यवधान)

सभापति महोदय : बहुमत की तलवार हमारे हाथ में नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : आपके हाथ में नहीं, सरकार के हाथ में है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि सरकार के हाथ में आज बहुमत की तलवार है लेकिन मैं आगाह करना चाहूंगी कि इस प्रकार से गलत शब्दों का इस्तेमाल करके आप अगर पान, गुटका, बीड़ी को बढ़ावा देना चाहेंगे तो यह जो बहुमत की तलवार इस देश के यौवन पर चला रहे हो और केवल यौवन पर नहीं, इस देश के भविष्य पर चला रहे हो, इस बात को ध्यान में रखिए और इसमें रिलीजियस सेंटीमेंट्स का आधार मत लीजिए। आपको और किसी के प्रैशर से कुछ करना हो तो करिए, मेरा विरोध इस बात के लिए है। धन्यवाद।

सभापति महोदय : आप बहुत अच्छा बोलीं।

चौधरी लाल सिंह (ऊधमपुर): सभापति जी, मैं आज सिगरेट और तम्बाकू के बारे में जो अमेंडमेंट बिल आया है, इस बारे में बात करूंगा। मेरी बड़ी बहन जैसी माननीय सदस्या ने जो अभी-अभी कहा है, मैं भी उनका समर्थन करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं और आप सब जानते हैं कि सबसे पहले इस देश में हुक्का था और अभी भी गांवों में कई जगह मिलेगा। आप देखते हैं कि इस हुक्के के नीचे पानी की एक डिब्बी होती है, एक लम्बी सी नाली लगी होती है, इस नाली से वह आदमी खींचता है, उसके ऊपर टोपी लगाई है, उसके बीच में एक पत्थर सा डाला है, उसके ऊपर फिर एक चैन डाली है और फिर आग डाली है। इतने बड़े प्रोसैस से निकलकर वह पीता है। जब वह पीता है तो ठीक 15 दिन के बाद फिर उस पाइप के बीच में एक सलाख डालता है। उसके बीच से मोटी-मोटी मैल निकलती है क्योंकि जो वह सुट्टा लगाता है, उसमें रुकावट आती है। मैं कहना चाहता हूं कि पानी भी साफ था, ऊपर पत्थर भी रखा गया था जिससे कि उसमें नीचे कुछ गिरा भी नहीं तो उस पाइप में फिर इतनी मैल कहां से आ गई? यह तो उसमें हुआ, लेकिन जो आदमी डाइरेक्ट पी रहा है तो उसकी नाली का क्या हो रहा है? उसकी नाली को तो छेड़ा भी नहीं जा सकता है।

आपने देखा होगा कि कई लोग अपने बिस्तर में बैठे-बैठे लम्बी-लम्बी सांस ले रहे होते हैं। क्यों? उनको श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, उनकी नाल तंग हो गई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की कोई बीमारी न हो। तम्बाकू, जर्दा, नश्वार, चुटकी इत्यादि जो भी चीजें हैं, ये सारी चीजें पहले ही भूत हैं। इनके ऊपर ही बहुत बड़ा भूत दिखाना चाहिए क्योंकि यह भूत जिसके घर में घुसा है, उसके लंग्स चले गये हैं। आज हिन्दुस्तान की औरतें मेजोरिटी में विडो हैं। [r56]जो औरतें विधवा हुई हैं, उनके आदमी क्यो मरे? इस नशे से, गरीब की गरीबी से शिकार हुये हैं क्योंकि वे बीड़ी, सिगरेट और तम्बाकू पीते रहे हैं। आप जानते हैं कि दारू की थ्योरी है कि शरीर के जिस हिस्से को जिस तरह इस्तेमाल करेगा, वह वैसा बन जायेगा। मैं अपने बिहार और यू.पी. के साथियों से रिक्वैस्ट करूंगा कि एक दिन ऐसी खबर आयेगी कि यू.पी. और बिहार के लोग गूंगे हो गये हैं क्योंकि वे ऊ.ऊं. करते हैं। उनकी बात करने का स्टाइल देखिये जिससे पता चलता है कि मुंह ऊपर उठाये हुये हैं जैसा कुछ गिर रहा है। ऐसी कौन सी इम्पार्टैंट बात है जो आपने पाली हुई है। कोई नाक से घुसेड़ता है, कोई दांत में रखता है, कोई लिप्स के नीचे रख रहा है और कोई पी रहा है। क्या कमाल का स्टाइल है? इस स्टाइल को बनाने के लिये देश में एक्टर रखे हुये हैं। जब सिगरेट पीते हैं, एक औरत नीचे गिरी है, पेड़ के नीचे आ गयी है, एक्टर मुंह में सिगरेट रखकर सूटा लगाता है, उस पेड़ को उठाता है और नीचे से औरत निकल रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह एक्टिंग किस के पल्ले पड़ रही है। हमारे जवान लोग जो इस जैनरेशन के हैं या आगे आने वाले के हैं जिन्हें हम जवान भारत कहते हैं, क्या आप उन्हें जवान बना रहे हैं या उन्हें बूढ़ा कर रहे हैं? आप उनकी जवानी को कमजोर कर रहे हैं। किसान की ज़मीदारी होती है और यदि आप किसी जवान कुली को देखो जो पैडी की बोरी उठाना चाहता है लेकिन मुंह में बीड़ी है, उससे उठाया नहीं जाता है। वह सिगरेट, तम्बाकू और बीड़ी के नशे में है। इसलिये, मैं हैल्थ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि आपका डिपार्टमेंट हिन्दुस्तान के लोगों पर लाखों रुपया टी.बी के नाम पर. खर्च कर रहा है। अगर यही एक लाख रुपया किसी गरीब पर खर्च किया जाये तो फायदा मिले। आप कहते हैं कि बेरोजगारी हो जायेगी, घर बरबाद हो जाये, जिस रोज़गार से देश की नस्ल बरबाद हो जाये, ऐसे संस्कार पर लानत है। मिनिस्टर साहब के यहां से चिट्ठी निकल रही है, बिल में अमैंडमेंट कर रहे हैं और उसमें लिखा है कि पसंद करके लगाइये, क्या पसंद करेगा? आप उसके घर जाकर पूछे कि जिसका बच्चा कैंसर से मर रहा है, उसका कोई इलाज नहीं है, उसे गले और फेफड़े का कैंसर है और सरकार ने डाक्टरों को इस मर्ज के लिये बिज़ी किया हुआ है, उनपर तनख्वाहें लुटाई जा रही हैं,

दवाइयां लूटी जा रही हैं और इतने बड़े इनफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल मैजारिटी ऑफ दीज़ पीपल्स पर खर्च किया जा रहा है। जान है तो जहान है - Health is Wealth -आप कौन सा वैल्थ बनाने जा रहे हैं? क्या आपके लिये इकौनिमी इम्पार्टेंट नहीं है? जब जिन्दगी और मौत का सवाल आता है तो आप देखेंगे कि घर में जो नशेड़ी लोग हैं, अगर आप उनकी करतूत देखेंगे, उनकी हालत देखेंगे तो मालूम होगा कि उन्हें खाने के समय का पता नहीं चलता है और न दूसरी बातों का पता चलता है और बिस्तर पर ही बहुत सी चीज़ें कर देते हैं। इसलिये मेरा आपके मार्फत मिनिस्टर साहब से सबमिशन है कि मेहरबानी करके बतायें कि ये चीज़ें कहां जा रही हैं? मुझे ऐसा लगा कि किस से पूछें कि किस रिलीज़न से है, क्या सरदारों से हैं? वे तो सिगरेट से वास्ता नहीं रखते, जिस कौम का इससे रिश्ता ही नहीं है, तो कौन सा देवता आ गया हैं? न सिक्ख, न ईसाई, न हिन्दू, न बौद्ध और न भिक्षु हैं। [s57] यह कौन सा देवता है, जो किसी के धर्म को चोट पहुंचाता है और देश के लोगों की सेहत को बर्बाद करता है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय, मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि अगर यह सचमुच में ईमानदारी से चाहते हैं कि लोगों का भला हो, स्कूलों में बड़ी लम्बी-लम्बी लाइनें लगी होती हैं, मैं कहना चाहूंगा कि मेहरबानी करके स्कूल, कॉलेज और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन की कैंटीन में चाहे बार की दुकान हो, वहां इस पर रोक लगनी चाहिए, इसके लिए सरकार सख्ती करे। सरकार इस पर ध्यान दे, क्योंकि अगर लोग इन चीजों से बचेंगे तो पैसे भी कमाएंगे। बीड़ी वाले पैसे कमाने के लिए मजदूरों को एक्सप्लायट करके, धोखाधड़ी करके ड्रामेबाज़ी कर रहे हैं।...(व्यवधान) इसलिए मेरा सबमिशन है कि इसके लिए मंत्री जी जब अपना भाषण करें तो तोड़ दें दीवारें और बना दें हिन्दुस्तान को एक बढ़िया जवान देश और जवान लोगों को बीमारियों से बचाएं।

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, I rise to support the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Amendment Bill, 2007. The Health Minister has brought this legislation for amending a specific provision, a specific section.

16.56 hrs.

(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

This Act was enacted in 2003, but why has this Amendment been brought? This Amendment has been brought as there was a demand by various Members of this House, when the matter was raised under Calling Attention Motion in the Budget Session of this House. Our concern is not for the industry or the industrialists who are running these beedi industries. Why we are asking that a particular section pertaining to pictorial depiction of skull and cross bones, dead bodies and other pictorial depictions should be amended because this will harm the beedi industry.

There are about 80 lakh beedi workers in our country, and their employment will be at stake. After enacting the Act, a rule was adopted, and in the rule it has been stated that initially it was to be enforced from the 1st of March, 2007, and subsequently, it was postponed to 1st of June, 2007. When this matter was raised by various sections of this House, and also by a number of trade unions and by the beedi workers, who came on to the streets, the Government formed a Group of Ministers to look into this.[r58]

17.00 hrs.

The Group of Ministers went into all aspects of section 7 of the original Act and a simple amendment has been brought. The amendment is, "in place of the specified warning, including a pictorial depiction of skull and crossbones and such other warning as may be prescribed". It has been clearly stated as to what type of pictorial warning should be there. On cigarette packets, statutory warning is printed on the back. However, a packet of beedies is smaller in size than that of cigarettes. The size of the pictorial warning has been mentioned in the Act. If that size is maintained for a beedi packet, it will take up about 70 per cent of the surface area of the packet. If 70 per cent of the surface space on the packet is taken by the statutory warning, there will be no space left to print the brand name and other things. That is why it was suggested that in place of the skull and crossbones, some other pictorial warning in smaller size should be printed on the packet. But it has not been specified in the Bill.

Here, the purpose will not be served by amending section 7 unless the rules that have been framed under the Act are amended in regard to depiction of the pictorial warning. So, along with the amendment of section 7, the rules pertaining to that section should also be amended.

Why did we demand that there should be an amendment? Why did we demand that it should not be enforced? There are 80 lakh beedi workers in the country who are dependent on the manufacture of beedies. We know that it is a health hazard, but some preventive measures should be taken also. Something should not be done by implementing such provisions if lakhs and lakhs of beedi workers are to be thrown out of employment, or rendered jobless. We know the condition of beedi workers. A large number of beedi workers do not get minimum wages. Where they are organised, they get minimum wages as prescribed by different State Governments. We know that a substantial percentage of workers do not get social security

like Provident Fund although the Supreme Court had directed that Provident Fund should be provided to all beedi workers from 1987 when the judgement was given. But we know that a percentage of beedi factory owners are not implementing the Provident Fund Act.[KMR59]

There is a Bidi Workers' Welfare Fund. Rupees eight is deducted as a welfare cess and that money is deposited in the Fund for their healthcare, for dispensary facilities, medical facilities, and for providing scholarships to the students and to the children of bidi workers. But this Welfare Fund is not properly utilised. We know that.

In my district, one hospital was sanctioned two years back but it has not yet come up. We know that it is the problem of not only the bidi workers but also the problem of thousands of farmers who grow tobacco, whose livelihood would be at stake. If the industry is closed down, about 80 lakh bidi workers would be rendered jobless. This would also adversely affect the tobacco growers. Altogether, one crore 50 lakh people are depending on this industry. For that one particular reason only, we demanded it. ...(*Interruptions*)

SHRIMATI SUMITRA MAHAJAN : Why religious sentiments?

SHRI BASU DEB ACHARIA : I also object to that. In the Statement of Objects and Reasons, what has been stated by the Minister of Health? It is felt that religious sentiments are taken into account. I do not find that there are any religious sentiments in regard to pictorial depiction of skulls and bones. This is the workers demand. It should have been written in the Statements of Objects and Reasons as it has been the demand of large sections of workers. He is bringing this legislation/Bill to amend the Act. It should be correctly stated. The pictorial warning of skulls and bones on packets of tobacco products may be made optional rather than mandatory. But this has not been mentioned in the Bill itself. Now, it is mandatory because the provision was mandatory. From now, as per the rules, which has been framed, from the first of October, it would be enforced and that would be made mandatory. That is why, along with the amendment to section 7 of the Act, the rules which have been framed, particular provision pertaining to the pictorial depiction, that should also be amended and it should be made optional. So, my suggestion is that instead of skulls and cross bones, some other pictures or written warning should be depicted in the packet so that people who chew tobacco or who smoke bidi, they should know that by smoking bidi, they would understand the harm by taking it. Hence, my suggestion is that this optional thing should also be incorporated in the Bill itself. [r60]

The sign should not be that of bones and skulls. There should be some other pictures. The size should also be smaller so that 70 per cent of the space on the beedi packet is not consumed for issuing this statutory warning. I demand that along with amendment of the Bill, the rules should also be accordingly amended so that the purpose of the amending section 7 of the Act is fulfilled.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Before I request the next Member to speak, I would like to make a submission. The time allotted for this Bill was one hour. I have a long list of speakers with me. So, it would not be possible for me to finish it within the stipulated time if I allow all the people to speak as they like. So, I would like to request them to speak only for four to five minutes.

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY (PURI): Sir, the time can be extended....(*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : इसके लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने एक घण्टा एलाट किया था। आप भी उस वक्त वहां थे, जब हमें इसके लिए एक घण्टे का टाइम मिला था। आज फ्लड की चर्चा का भी रिप्लाई होना है, और भी बहुत बिजनेस मेरे पास है।

â€¦(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आज हमारे पास बहुत बिजनेस है।

श्री श्यामा चरण गुप्त (बांदा): माननीय उपाध्यक्ष जी, सिगरेट के संशोधन बिल के विषय में अभी जिन-जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, वे बहुत अच्छे हैं। मैं भी उनसे सहमत हूं, किन्तु मैं माननीय मंत्री जी और सरकार को यह अवगत कराना चाहूंगा, जो सम्भवतः मिसिंग है कि सिगरेट ज्यादा इन्जूरियस है, बीड़ी कम इन्जूरियस है और च्यूंग में खाया जाने वाला तम्बाकू या सेवन करने वाला तम्बाकू से ज्यादा नुकसान होता है। सिगरेट का तम्बाकू ब्लेंडिड होता है, बीड़ी के तम्बाकू में कोई ब्लेंडिंग नहीं की जाती। बीड़ी में बहुत अधिक गरीब मजदूर, तेंदू पत्ता तोड़ने वाले, तम्बाकू की खेती करने वाले, बीड़ी बनाने वाले, लोडिंग करने वाले, पैकिंग करने वाले, प्रिंटिंग करने वाले, इस तरह से जैसा आचार्य जी ने बताया कि लगभग 80 लाख मजदूर रोजी-रोटी पाते हैं। यदि इसमें कोई इंजरी और कोई जोखिम स्वास्थ्य को होता है तो इसमें केन्द्रीय सरकार ने ही बजट में एक्साइज़ ड्यूटी के साथ-साथ सैस भी लगाया हुआ है, जिससे उनके स्वास्थ्य के लिए काफी कुछ उपाय किये जाते हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध है कि इस बिल में संशोधन तो किया जाये, इसमें बीड़ी को एग्जम्प्ट किया जाये। बीड़ी में इस नियमावली का पालन न कराया जाये, क्योंकि जैसा कि आचार्य जी ने भी अभी कहा है कि बीड़ी का बंडल छोटा होता है, सिगरेट का पैकेट बड़ा होता है। बीड़ी के

बंडल के साइज में वार्निंग लिखने के लिए अभी माननीय मंत्री जी ने एमेंडमेंट रखा है, इस साइज में अगर बंडल के ऊपर लिख दिया जायेगा तो न तो उसका ब्राण्ड, न नाम और न उस चीज़ का कोई भी प्रदर्शन हो ही नहीं सकता, इसलिए वह बिकेगी ही नहीं और उसे कोई मांगेगा ही नहीं, क्योंकि उसका कोई प्रदर्शन नहीं हो सकेगा। इसलिए मेरा यह संशोधन है, मेरा यह सुझाव है कि इसमें जो वार्निंग लिखवाई जा रही है, उसके लिए लेबल में 20 परसेंट स्थान एलाट कर दिया जाये कि 20 परसेंट में वार्निंग लिखी जाये और 80 परसेंट में उसका नाम जो कुछ भी है, उसका प्रदर्शन होना चाहिए। रही बात कि अगर इसको समाप्त कराया जायेगा तो एम्पलायमेंट भी नहीं बढ़ेगा, हैल्थ के लिए इंजूरियस है, सब कुछ हम मानते हैं, लेकिन सब लोग कहते हैं, कोई कहता है कि इससे कैंसर होता है, कोई कहता है कि कोई और बीमारी होती है और लोगों को भी कैंसर होता है, जो बीड़ी और सिगरेट नहीं पीते, उन्हें भी कैंसर होता है तो वह बीड़ी और सिगरेट की वजह से नहीं होता है, इसलिए सीधे-सीधे आरोप इसी व्यापार में लगा दिया जाये, इसी आइटम में लगा दिया जाये, ऐसा उचित नहीं है।[R61]

महोदय, मुझे कहने में थोड़ी हिचक हो रही है, लेकिन मैं कहूंगा कि मैं चैन स्मोकर हूं, फिर भी एकदम स्वस्थ हूं। मैं बीड़ी भी पीता हूं और सिगरेट भी पीता हूं। अगर मैं बीड़ी और सिगरेट न पियूं, तो मुझे सवेरे बाथरूम जाने में भी कष्ट होता है। मैं मानता हूं कि कुछ लोगों को इससे दिक्कत हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों को इससे सुविधाएं भी हैं। कुछ लोगों का यह इलाज भी है। बहुत से लोग बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं, तो उनका चित्त शांत नहीं रहता, उनका मन स्वस्थ नहीं रहता। वे कभी ठीक से बात नहीं कर पाते। ऐसा भी होता है, लेकिन ऐसा कम होता है।

मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि आप इसमें संशोधन करें, अच्छी बात है, लेकिन इस संशोधन पर ऐसा भी विचार करें कि आप ट्रेड धीरे-धीरे घटायें। टुबैको का सेवन धीरे-धीरे खत्म करायें। इसके एकबारगी खत्म होने से बहुत बड़े केंद्रीय कर का नुकसान होगा और केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी का भी नुकसान होगा। इससे अनइंप्लायमेंट में बढ़ावा होगा। अगर आपके पास इंप्लायमेंट देने का कोई वैकल्पिक उपाय है, तब इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं,।

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जो विधेयक लाए हैं, मैं उस विधेयक का समर्थन करता हूं। खास तौर पर जब तंबाकू सेवन की बात की जा रही है, तो मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि प्रतिवर्ष लगभग दस लाख लोग तंबाकू सेवन के कारण मौत के मुंह में चले जाते हैं। आज यह स्थिति है। इससे बड़ी आबादी अफेक्टेड हो रही है। मैं बताना चाहूंगा कि तंबाकू सेवन से ही कैंसर और टीबी जैसी बीमारियां होती हैं। कई ऐसी बीमारियां हैं, जिनके कारण नौजवान से लेकर बुजुर्ग तक परेशानी में आ जाते हैं या बीमार हो जाते हैं।

महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि इसमें जो मार्क है, वे उसे तब्दील करना चाहते हैं। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, इसलिए आप इसे तब्दील करें। मगर मैं समझता हूं कि आप चिन्ह कुछ भी परिवर्तित कर लें, पीने वाला तो इसे पियेगा ही। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि मैं सिगरेट या बीड़ी पीकर भी बिल्कुल स्वस्थ हूं। जब माननीय सदस्य ही यह एहसास नहीं कर रहे हैं, तो लोगों पर इसका क्या असर होगा?

महोदय, मैंने देखा, हालांकि मुझे यह नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि सदन में लोग जर्दे की पुड़िया लेकर बैठे हुए हैं। मैं समझता हूं कि वह मंत्रीगण की सीट है। जब मंत्रीगण ही पुड़िया खा रहे हैं, जर्दा की पुड़िया अभी भी वहीं पड़ी हुयी है, ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? यह स्थिति बहुत खराब है। मैं समझता हूं कि आप चिन्ह कुछ भी लगा लें, उससे कुछ नियंत्रित होने वाला नहीं है। पीने वाला तो पियेगा ही। जब तक मन का भाव परिवर्तत नहीं होगा, तब तक मैं समझता हूं कि यह नियंत्रित नहीं हो पाएगा। हर सिगरेट पर लिखा रहता है कि इंज्यूरियस फार हेल्थ, मगर इसे कौन पीने वाला मानता है? अंग्रेजी में लिखा रहता है, अब हिंदी में छापना प्रारंभ कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि जो कानून बनते हैं, उनका असर गांवों तक नहीं पहुंच पाता है। आप हिंदी और अंग्रेजी में तो इसे लिखते ही हैं, लेकिन हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं, हमारा देश महान है, बड़ा देश है, हर जाति-धर्म और भाषा के लोग यहां रहते हैं, इसलिए माननीय मंत्री जी को इस ओर ध्यान देना चाहिए और कंपनियों को कंपेल करना चाहिए कि आप जिस इलाके में सिगरेट और तंबाकू बेच रहे हैं, उस इलाके की क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग हो। मैं समझता हूं कि तब यह ज्यादा कारगर होगा। [c62]

बहुत से लोग हिन्दी नहीं जानते और बहुत से लोग अंग्रेजी नहीं जानते। सिगरेट, तम्बाकू और बीड़ी का इस्तेमाल गांवों तक होता है, शहरों में लोग कहां पीते हैं। जब तक उन्हें जानकारी नहीं मिलेगी, तब तक उसका असर नहीं होगा। लोगों में अवेयरनैस जगाने की भी जरूरत है। यह बात सही है कि इस व्यापार से जुड़े हुए लोग बहुत गरीब तबके के हैं। लगभग डेढ़ करोड़ लोग गृह मजदूर हैं जिनकी इससे जीविका उपार्जन होती है। मैं इस बात को मानता हूं। कई माननीय सदस्यों ने अपनी भावना व्यक्त की है कि ऐसे लोगों की स्थिति खराब हो जाएगी, वे परेशानी में पड़ जाएंगे। मैं इसका प्रतिकार नहीं करता, लेकिन तम्बाकू सेवन से बहुत सी बीमारियां बढ़ रही हैं। फेफड़े के रोग तम्बाकू सेवन से होते हैं। मैं समझता हूं कि तम्बाकू का प्रचलन धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। आजकल 12 से 14 वर्ष के स्कूल जाने वाले लड़कों को भी मैंने देखा है कि वे सिगरेट और तम्बाकू का सेवन करते हैं, खास तौर से पान पराग, पान मसाला, जर्दा आदि का सेवन किया जाता है। आजकल जर्दायुक्त पान मसाले बेचे जा रहे हैं जो जहर हैं। उनसे कैंसर हो जाता है। इस पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, इसलिए सरकार को ठोस उपाय ढूंढने पड़ेंगे। यह जबरदस्ती चलने वाला नहीं है। तम्बाकू के बारे में अवेयरनैस जगाने के लिए सालाना लगभग 40 हजार करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं, लेकिन उसका खास असर नजर नहीं आ रहा है। इसलिए मैं मंत्री जी और सरकार से कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर ऐसे ठोस उपाय करने चाहिए ताकि लोग तम्बाकू का सेवन करने से बचें। स्वास्थ्य ही हमारी पूंजी है। यदि स्वास्थ्य रहेगा तो सब कुछ है, स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो सब बेकार है। ...(व्यवधान) मानव संसाधन ताकत दुनिया में कहीं नहीं है। हमारा देश ह्यूमन रिसोर्स के बल पर ही तरक्की कर रहा है और उसी में घुन लगना प्रारंभ हो गया है। गांवों के किसान और मजदूरों को देखिए कि उनकी क्या हालत है। उन्हें ठीक से खाने को नहीं मिलता, लेकिन वे तम्बाकू, बीड़ी और दूसरी ऐसी चीजों का सेवन करते हैं जो हैल्थ के लिए हानिकारक होते हैं।...(व्यवधान) उनके पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं होते लेकिन उन्हें तम्बाकू आदि खाने की गंदी आदत पड़ जाती है।...(व्यवधान) लोगों में अवेयरनैस जगानी चाहिए, उन्हें अपने आप को नियंत्रित करना चाहिए। माननीय सांसद को निश्चित तौर पर यह बात नहीं कहनी चाहिए। यह लोगों को उत्साहित कर रहे हैं कि आओ और तम्बाकू पीयो, गांजा पीयो और स्वस्थ रहो।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यादव जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : आप करोड़ो लोगों को बीमारी देकर दो हजार लोगों को रोजगार दे रहे हैं। करोड़ों लोगों को सुखा दीजिए और हजार लोगों को राहत दीजिए, यह कोई मतलब है।...(व्यवधान) मैं गरीब लोगों का विरोधी नहीं हूं, समर्थक हूं।...(व्यवधान) मैं समाप्त कर रहा हूं।...(व्यवधान) सिख समुदाय में शराब पीना, तम्बाकू रखना और पीना पाप है। इसलिए आप इस बात को विशेष तौर पर एहसास करते होंगे कि इन सब चीजों से व्यक्ति को वंचित रखना पड़ेगा।[N63]

देश को आगे बढ़ाना है, देश को स्वस्थ रखना है, स्वस्थ समाज रखना है, तो हमें इन सब चीजों को नियंत्रित करना पड़ेगा। लोगों के साथ जबरदस्ती नहीं चलेगी। आप लोगों में अवेयरनैंस जगाइये और देश को बचाइये।

इन्हीं चंद शब्दों के साथ, मैं भरे मन से इस बिल का समर्थन इस विश्वास के साथ करता हूं कि हम सबको मिलकर तम्बाकू सेवन पर रोक लगाने के लिए लोगों के बीच प्रचार करना होगा तभी हम अपनी आदत पर नियंत्रण करने का काम कर सकते हैं।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक व्यवस्था का सवाल उठाया था। । हम अज्ञानी हैं, बहुत छोटे लोग हैं, नासमझ हैं, लेकिन क्या नेता सदन की सीट पर कोई भी बैठ सकता है - यह मैंने आपको लिखकर प्रश्न पूछा था? मैं उस पर आपका उत्तर चाहूंगी। If it is proper, I have nothing to say.

उपाध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब, आप अगली सीट पर बैठ जायें, क्योंकि यह नेता सदन की सीट है।

SHRIMATI ARCHANA NAYAK (KENDRAPARA): Sir, I thank you for giving me an opportunity to participate in the discussion on the Cigarette and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Amendment Bill, 2007.

The present Act enacted in the year 2003 is intended to discourage the consumption of tobacco. No doubt, it is a pro-people and progressive Act.

In the present Act, Section 7 (1) stipulates that "no person shall, directly or indirectly, produce, supply or distribute cigarettes or any other tobacco product unless every package of cigarettes or any other tobacco products produced, supplied or distributed by him bears thereon, or on its label, the specific warning including a pictorial depiction of skull and cross bones and other such warning as may be prescribed."

However, the Government seems to have succumbed to the pressure of the industrial houses by bringing an amendment to the existing Section 7 (1) of the Act. The amendment will make the depiction of skull and bones on the cigarette and tobacco product packets optional rather than mandatory.

The ground reality is that tobacco is the cause for 50 per cent of cancer deaths, 40 per cent of all health-related problems and a majority of cardio-vascular and lung disorders in the country. Moreover, there are studies which show children getting addicted to tobacco at an early age and also of the increase in the percentage of population which consumes tobacco in any form. So, 55,000 children are taking tobacco each day, 44 lakh cases of coronary heart diseases are there due to tobacco consumption. As per the report of the Tobacco Control in India, approximately 8 to 9 lakh persons die annually due to tobacco attributable diseases.

In this context, I am not able to understand the reason behind such a hasty amendment brought forward by the Government. Is the move to protect the interest of the common man or to protect the interest of the industrial houses? A common illiterate person may not be able to understand the warning written in the language but a warning sign like the skull and bones can easily convey the message.

The Government says that the sign of skull and bones hurts the religious sentiments and hence they would like to make the skull and bones sign optional. However, a recent survey designed to have similar representation of the two largest religious groups in India clearly indicates identical views. About 87 per cent of them understand the sign (the bone and skull symbol) on a product as "the product is dangerous to use" and do not hurt their religious sentiments. Hence it is the duty of the Government to convey the message of dangers of tobacco in the most effective manner.

The *bidi* industry has falsely claimed that 50 per cent of the jobs will be lost after the pictorial fact warnings are introduced. This claim is completely baseless. The loss caused by the use of tobacco products to the humanity will be more dangerous than the jobs created in the tobacco industry.

The women and children are the worst affected groups as passive smokers. There are things which give jobs to certain hands and take out the lives of many. We have to choose whether the welfare of the common man or the interest of the industrial houses is the concern of the Government. The Government must answer this question. I would like to

conclude my speech by strongly opposing the amendment to the Act moved by the Government. Thank you, Sir.

SHRI SURAVARAM SUDHAKAR REDDY (NALGONDA): Sir, I stand to support the amendment. I understand my friend does not like our support. I do agree that tobacco smoking and tobacco chewing is very dangerous to the health of the people. Sir, there are several strong arguments regarding it. But, everybody agrees that it is dangerous. There is no doubt about it. Sir, in my younger days, I heard a story in one of the masterpieces of Telugu literature in which one gentleman says to his friend when there was a war going on between the demons and devtas for amrit, one drop fell on earth and that became a tobacco tree. Tobacco is such a wonderful thing. But now, it is not only that, Sir. He also wants that if one does not taste tobacco in one life, in the next life he will be born as a buffalo. But, nevertheless I assure that nobody believes in this type of stories. But the problem is that while everybody understands that smoking is dangerous why such an amendment has to be brought in the Parliament removing the depiction of pictorial warning because it is connected directly with the livelihood of several crores of people. Eighteen lakh people are directly working in the bidi factories. Two crore people are working in the bidi, cigarette, cigar and tobacco and this kind of industries. Sixty lakh of farmers are growing this tobacco. This is to be discouraged in every way and I believe that only a pictorial warning which used to be the symbol of the flags of the sea pirates in the middle ages is not going to help to reduce smoking in the country. Sir, today about 25 crores of the people in the country are supposed to be using the tobacco directly or indirectly. Suddenly, such a large section of the people cannot be taken away from this bad habit. We have to warn them in different ways. And, the steps taken by the Government of India, Health Department, are quite good banning the advertisements in the films, banning advertisement in newspapers and banning the smoking in public places. This is all good. But, along with this, there is a necessity that deaddiction centres should be encouraged. Then, there should be films that will be popularized throughout the country and made compulsory even in the TV channels to show how dangerous is smoking. This may take a longer period. And, it should be made a part of the curricula in the schools. The bidi and cigarette companies are trying to catch the people. Let us try to educate these people and help them become anti-smokers.

This type of a campaign may need a lot of money. The Government of India is earning Rs. 3,000 crore every year through excise duty on tobacco products and it is earning Rs. 650 crore as foreign exchange by way of export earnings. There should be a surcharge or the Government should spare some amount of this money for the health of the people because this is nothing but consuming poison. But we have to convince the people that consumption of tobacco products is dangerous to the health. I would like to submit that this type of pictorial warning is not going to help.

Sir, I come from Andhra Pradesh where several lakhs of workers came to the streets to fight against this stipulation of depicting pictorial warnings on tobacco products. I am sure that this would have helped some people to quit smoking, but this has certainly scared the proprietors of beedi factories and beedi workers that the beedi industry is going to be closed. So, this kind of pictorial warning has suddenly put the livelihood of several millions of people in a serious crisis. Though I understand that consumption of tobacco products is hazardous for the health of the people, unfortunately this kind of pictorial warning cannot be accepted as there is no alternative profession available to beedi workers immediately. In my State of Andhra Pradesh, all the political parties, namely, CPI, CPI (M), Congress Party, TRS, TDP and BJP came to the streets demanding that this pictorial warning should be removed because this is going to create a very sudden and serious crisis for the livelihood of a large number of people.

On the question of gutka, I would like to say that the Government of India has to move more seriously as gutka is more dangerous than all other tobacco products and also because it is available at cheaper rates. Almost 40 per cent of the people who consume tobacco products are eating gutka. So, we will agree to remove this pictorial symbol from beedi and other tobacco products, but the Government can keep it on gutka packets if the Government is prepared for it.

SHRIMATI SUMITRA MAHAJAN : I am objecting to this pictorial warning on the basis of religious sentiments.

SHRI SURAVARAM SUDHAKAR REDDY : I would like to state that certainly it is not a religious sentiment. About 40 per cent of tobacco users are smokers and a large number of people working in the beedi industry are affected by this pictorial warning and this could scare the beedi workers as it is affecting their daily livelihood which is the most unfortunate thing. So, I believe that for the time being this type of an amendment is necessary. But in the amendment nowhere it is written that this symbol is optional. It is stated that instead of this symbol of skull and cross bones, some symbol which will be given by the Government should be put on the packets of tobacco products. So, I do not understand how it becomes optional as it is stated in the Statement of Objects and Reasons of this Bill.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): In the Bill, they mentioned it like this, but in the Statement of Objects

and Reasons it is stated that it is optional.

SHRI SURAVARAM SUDHAKAR REDDY : If this is the objective, then this should be reflected in the Bill. So, I would like the hon. Minister to clarify this point. While I support the Bill, I would like the Government to spend more amount of money for carrying out different types of campaigns on the ill-effects of smoking in this country.

श्रीमती तेजस्विनी श्रीरमेश : डिप्टी स्पीकर सर, मैं यहां से बोलने के लिए आपकी इज़ाजत चाहूंगी।

Sir, I do agree with the sentiments expressed by my colleagues from different parts of this House. If at all I am supporting this Bill from the Ruling Benches, it is because of my concern towards tobacco growers in the States like Karnataka, Andhra Pradesh, Kerala, Tamil Nadu and West Bengal, but certainly not on the basis of any religious sentiments. Let me make it very clear.

Definitely, we are concerned about the 80 lakh beedi workers and also lakhs of people who are involved in the tobacco producing industry. But unless we make alternative means of livelihood to that community, we cannot implement this type of advertisement which will cause the decline in the marketing of the tobacco produces. At the same time, we have to know who are involved in these industries. In the beedi industry more than 50 per cent and up to 80 per cent in one sector women, youngsters and even child labourers are involved.

Definitely, the tobacco producing is causing a lot of health hazards like oral cancer due to chewing of tobacco and lung cancer due to long term inhaling. For years together, these children, the youngsters and the women inhale that tobacco. It causes lung cancer and also abnormal physical growth. It has even been proved that smoking causes the nervous weakness and it affects the reproductory system of the human body. There is a saying that only a healthy body will have a healthy mind. That is why, it is our duty to ensure today to look at a strong India, young India, energetic India and vibrant India and for that we have to guard our youngsters of rural India. Due to poverty they are addicted towards this type of cheap hazardous tobacco produces. So, we must discourage that type of tobacco smoking and chewing.

The sign of skull and bone definitely communicates that death is certain, death is ultimate and that sign shows that hazard is the danger of the death. As Shrimati Sumitra Mahajan has said that if we touch the live electricity wire, there is no alternative and death is certain. So, if we use this tobacco, death is certain. If it is so, why are we afraid of this sign? If we are spending crores of rupees to create awareness, what is wrong in using the skull and bone sign? It is to communicate to people because 35 per cent of people in India are illiterate. They cannot read. When these industry people want to promote their product, they print their advertisements broadly. Why are these people using beautiful women to promote their products? It is a shame on their part. I am objecting to it and utilising this opportunity to oppose that. If these people have any respect towards the women of this country, then they must stop using them in such advertisements because no women, whether she is a mother or a sister or a wife is supporting tobacco use or drinking of alcohol because after all they have to bear the burden of the family. So, definitely no women in this country is supporting these kinds of bad habits.

Sir, please look at the scenario in India. I will cite the example of United States of America. Its tobacco use has declined from 52 per cent to 24 per cent but here in India, the intake of tobacco has increased from 15 per cent to 26 per cent. That means, 300 million people, even today, are addicted to the tobacco use. We must discourage this by very stringent and very effective law.

Sir, lastly I would like to say that today the cigarette consumption is 15 per cent and beedi consumption is 40 per cent and rest of the people are in the habit of eating these products. I would like to inform the House that in India, about five lakh people die due to tobacco intake and 40 per cent of country's health problems are due to tobacco intake. It is a very considerable percent. Every year, in India, one million new cancer patients are reported and out of the new cancer patients, 60 per cent cases are due to [r64]the tobacco intake.

That is why, I think, Indian tobacco industry is today worth Rs. 35,000 crore. All of us know how much money we are spending – including individuals and Government – to cure, to create awareness. We are spending Rs. 38,000 crore. That means we are spending Rs. 3,000 crore more to create awareness. On the one hand, we are encouraging them and on the other hand we are spending public money to create awareness. It is ridiculous. That is why, pictorial advertisements like

skull and cross bone, is effective communicating among the illiterate people, among the rural people. Until you make alternative arrangements, it should be a temporary step to stop this. It is not a permanent solution. All senior and learned people are here from every Party. They must come with the alternative suggestions. Till then, I support this Bill only to support the working class – not on a religious point – who is depending on this. I would like to support the amendment to this Bill.

..

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI): Sir, I have a submission to the House through you that the hon. Health Minister is preoccupied in Rajya Sabha to respond some important matters. Therefore, my submission would be that the reply of the Health Minister could be done tomorrow. Since the flood debate is going on for the last two or three occasions, there will be two interventions, one is by the Water Resources Minister and final reply by Shivraj Patil *ji*. The Minister of Water Resources is here. You may kindly allow the Minister of Water Resources also to give a chance to intervene in the flood debate. It is because last speaker was Shivraj Patil. If the Health Minister reaches before 6 o'clock, I do not mind the Health Minister be called today. Otherwise, I would request that the reply will be tomorrow. Meanwhile the intervention of the Minister of Water Resources can be done followed by the reply of the Home Minister who will reply the final debate on flood. That is the only request. ...(*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : इसके बाद क्या फिर सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद विधेयक पर फिर से चर्चा होगी?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, इस बिल पर कई माननीय सदस्य बोल चुके हैं और जो बचे हुए सदस्य हैं, वे कल बोल सकते हैं।...(व्यवधान) मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाढ़ पर चर्चा को भी आज ही समाप्त करना है।...(व्यवधान) ऐसा भी कर सकते हैं कि फ्लड पर आज ही डिस्कशन पूरा कर लें और सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद विधेयक पर कल दो-तीन माननीय सदस्य बोल लेंगे और उसके बाद मंत्री जी जवाब दे देंगे। इतना ही मेरा निवेदन है। मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता हूं, केवल अपील ही कर सकता हूं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या अन्य सदस्य सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद विधेयक पर कल चर्चा कर सकते हैं?

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : Let the debate be closed today....(*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : नायडू जी, क्या कल आप सदन में नहीं आएंगे?

â€¦(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Tomorrow this debate will continue.

...(*Interruptions*)

SHRIMATI SUMITRA MAHAJAN : Tomorrow, Private Members Business is also there....(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now we will take up the flood discussion.[r65]

17.50 hrs.